न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 17/2020

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1धन्नाराम पुत्र रामरख जाति जाट 2बीजाराम पुत्र परसाराम जाति मेघवाल निवासीगण चान्दारूण तहसील डेगाना जिला नागौर।		1लूणाराम पुत्र गणेशराम 2सुखाराम पुत्र भागीरथ 3जयराम पुत्र भागीरथ 4कानाराम पुत्र पांचूराम 5भुगानाराम पुत्र पांचाराम 6शंकरलाल पुत्र पांचूराम 7मोडूराम पुत्र पुरखाराम जातियान जाट 8साबुदीन पुत्र सलेमान जाति तेली मुसलमान 9आदुराम 10कालूराम पुत्रान जेठाराम जातियान जाट 11भंवरलाल पुत्र मुन्नाराम जाति लखारा 12पन्नाराम 13उगमाराम 14गंगाराम पुत्रान रामरख जातियान जाट 15जस्साराम 16धन्नाराम पुत्रान परसाराम जातियान मेघवाल निवासीगण चान्दारूण तहसील डेगाना जिला नागौर। 17तहसीलदार, डेगाना।

उपस्थिति :–

1. श्री डूंगरराम चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री धन्नाराम चौधरी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 11 की ओर से।
3. श्री रामनिवास विश्नोई अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 12 से 16 की ओर से।
4. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 17 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 05.03.2021

{1}–अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार, डेगाना द्वारा प्रकरण सं. 01/2020 अनवान सरकार बनाम धन्नाराम में पारित निर्णय दिनांक 01.07.2020 से असंतुष्ट होकर दिनांक 07.07.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स की अपील दिनांक 08.07.2020 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 11 की ओर से श्री धन्नाराम चौधरी अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट सं. 12 से 16 की ओर से श्री रामनिवास विश्नोई अधिवक्ता तथा रेस्पोडेन्ट सं. 17 की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट्स ने अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार डेगाना के प्रकरण सं. 1/20 सरकार बनाम धन्नाराम मे फर्द अहकाम दिनांक 18.06.20 से 1.7.20 की फोटोप्रति, निर्णय दिनांक 01.07.20 की फोटोप्रति, उपखण्ड अधिकारी डेगाना को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, नजरी नक्शा की फोटोप्रति, निरीक्षक भू अभिलेख चान्दारूण द्वारा तहसीलदार डेगाना को प्रस्तुत रिपोर्ट की फोटोप्रति, ग्राम चान्दारूण की जमाबंदी संवत 2071–76 की फोटोप्रति, नजरी नक्शा की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति, तहसीलदार डेगाना को प्रस्तुत जवाब की फोटोप्रति, तहसीलदार डेगाना को प्रस्तुत आवेदन की फोटोप्रति तथा तहसीलदार डेगाना के पत्र दिनांक 29.6.20 की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस शुरू करते हुए बताया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.07.20 पूर्णतया अवैध विधिविरूद्व एवं बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पारित किया गया होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं पत्रावली का अवलोकन किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया है। जो निरस्तनीय है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 11 ने आवेदन उपखण्ड अधिकारी डेगाना के नाम पेश किया था। उक्त आवेदन नियमानुसार भी नही था, उक्त आवेदन मे सिर्फ प्रार्थीगणो के नाम है। अप्रार्थीगण कौन कौन है। इस संबंध मे आवेदन मे कोई अंकन नही है। इसके अलावा तहसीलदार डेगाना ने उपखण्ड अधिकारी डेगाना के नाम संबोधित आवेदन पर ही आरआई को जांच हेतु आदेश पारित किये गये थ, जो केवल शिकायत मात्र थी। किन्तु इसके पश्चात दिनांक 18.6.20 को किस आवेदन पर धारा 251 आर टी एक्ट का प्रकरण दर्ज किया, उक्त तथ्य पत्रावली से कही भी स्पष्ट नही है। न ही आदेशिका दिनांक 18.6.20 से स्पष्ट होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे किसी भी आवेदक द्वारा विधिवत आवेदन ही पेश नही किया गया। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया अवैध एवं विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण सरकार की ओर से प्रस्तुत किया जाना पत्रावली के अनवान मे अंकित किया है जबकि सरकार की ओर से किसी भी अधिकारी अथवा पटवारी, आरआई द्वारा कोई आवेदन ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नही किया गया। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण सरकार की ओर से बिना आवेदन दर्ज करते हुए जो आदेश जैर अपील पारित किया है। वह निरस्तनीय है।

{2}(V)–अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम चान्दारूण स्थित खसरा नं. 79 व 82 के सभी सह खातेदारान को उक्त प्रकरण मे न तो पक्षकार बनाया, न ही उन्हे नोटिस जारी किये, न ही उनको सुनवाई का अवसर दिया। ऐसी स्थिति मे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत जाकर जो निर्णय पारित किया गया है। वह निरस्तनीय है।

{2}(VI)–अधीनस्थ न्यायालय ने दोनो पक्षो के बयान भी दर्ज नही किये। बिना बयान लिये ही प्रकरण मे रास्ते के संबंध मे सुखाचार मानकर जो निर्णय जैर अपील पारित किया है। वह अपने आप मे विधि विरूद्व है। क्योकि सुखाचार के संबंध मे किसी भी तरह के बयान दर्ज नही किये गये, ऐसी स्थिति मे सुखाधिकार साबित ही नही हुआ था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है। वह निरस्तनीय है।

{2}(VII)–अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.6.20 की जो मौका रिपोर्ट पेश की गई वह मौका रिपोर्ट पूर्ण रूप से एकपक्षीय तथा पक्षकारो की गैर मौजूदगी मे तैयार की गई थी। इस कारण दिनांक 29.6.20 को अप्रार्थीगण की ओर से एक आवेदन पुनः मौका रिपोर्ट पक्षकारो की उपस्थिति मे जांच कर मंगवाने हेतु पेश किया गया। किन्तु उक्त आवेदन को भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने ढंग से निरस्त करते हुए केवल मात्र एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर ही बिना किसी अतिरिक्त साक्ष्य सबूत के जो निर्णय जैर अपील पारित किया है। वह निरस्तनीय है।

{2}(VIII)–अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दोबारा दिनांक 25.6.20 की आदेशिका के अनुसार मौका रिपोर्ट तलब की गई। किन्तु दिनांक 30.6.20 की मौका रिपोर्ट मे पटवारी व आरआई ने किसी प्रकार की मौका रिपोर्ट तैयार ही नही की बल्कि केवल मात्र यह अंकित किया कि मौके पर दिनांक 14.6.20 के अनुसार स्थिति पायी गयी। इस मौका रिपोर्ट को तैयार करने से पूर्व भी दोनो पक्षो को न तो किसी प्रकार की सूचना दी गई न उनकी मौजूदगी मे मौका रिपोर्ट तैयार की गई। उक्त मौका रिपोर्ट मे मार्क 'ए' से 'बी' रास्ता बंद होना बताया है। किन्तु मार्क 'बी' के बाद रास्ता कहां तक चालू है या मौके पर रास्ते को अलामात है इस संबंध मे भी मौका रिपोर्ट दिनांक 14.6.20 मे कोइ उल्लेख किया हुआ नही है। ऐसी स्थिति मे उक्त दोनो ही मौका रिपोर्ट माने जाने योग्य नही थी। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय जैर अपील पारित किया है। वह निरस्तनीय है।

{2}(IX)–अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण ने दिनांक 29.6.20 को संपूर्ण तथ्यो को अंकित करते हुए जवाब पेश किया, जिसमे शिकायतकर्ताओ के आने जाने के हेतु रास्ते के संबंध मे उल्लेख किया गया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय करते वक्त उक्त जवाब मे वर्णित तथ्यो को क्यो नही माना जावे, इस संबध मे बिना कोई विवेचन दिये जो निर्णय जैर अपील पारित किया है। वह निरस्तनीय है तथा अपने कथन के समर्थन मे आरआरडी (2011) पेज 161 से 164 नजीर पेश की।

अपर कलक्टर, नागौर

{3}–रेस्पोडेन्ट सं. 12 से 16 के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस अपीलान्ट्स की अपील का समर्थन किया है।

{4}–रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 11 के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस अपीलान्ट्स की अपील में दिये गये तथ्यों का खण्डन करते हुए दलील दी कि ग्राम चान्दारूण के खसरा नं. 82 व 79 मे से चलने वाले कदीमी रास्ता उक्त खसरान के खातेदारान द्वारा अवरोध कर लिये जाने पर रेस्पोडेन्ट की शिकायत पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट सं. 12 से 16 द्वारा रास्ते पर अवरोध करना पाया जाने पर ही इन्हे विधिवत नोटिस देकर बाद सुनवाई आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो सही होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत कदीमी सुखाचार के रास्तो के मामले मे सुनवाई का क्षेत्राधिकार तहसीलदार का ही है। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील यथावत रखा जाना चाहिये।

{5}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। तहसीलदार डेगाना द्वारा ग्राम चांदारूण मे स्थित खसरा नं. 82 व 79 के सहखातेदारो द्वारा रास्ते मे अवरोध किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत प्रकरण सं. 1/2020 सरकार बनाम धन्नाराम दर्ज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील करने से पूर्व पक्षकारान को पर्याप्त सुनवाई का अवसर भी दिया गया है। निरीक्षक भू अभिलेख की मौका रिपोर्ट दिनांक 14.06.2020 के अनुसार मौजा चान्दारूण के खसरा नं. 82, 79, 80, 64, 66, 67 व 58 मे कदीमी रास्ता होना पाया गया है। जहां खसरा नं. 82 व 79 मे अवरोध होना भी जांच मे आया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत कदीमी सुखाचार के रास्ते पर किये गये अवरोध को हटाये जाने हेतु तहसीलदार अधिकृत है। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील विधि अनुसार ही पारित होना प्रतीत होता है। जहां तक प्रकरण मे खसरा नं. 82 व 79 मे गुजरने वाले रास्ते का राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज के लिये न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को अग्रेसित किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध मे धारा 251 आरटीए के तहत कदीमी रास्ते का राजस्व रेकर्ड मे अंकन किये जाने की अधिकारिता के संबंध मे प्रक्रिया अलग से निर्धारित है व इस आदेश का मूल भाग नही हो सकता है। इस सीमा तक आदेश जैर अपील मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{6}–उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील के तहत रास्ते को राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज से संबंधित प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डेगाना को अग्रेसित किये जाने से संबंधित आदेश को निरस्त किया जाता है। शेष आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{7}–निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर नागौर